कार्यालयः प्राचार्य, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान, बुलन्दशहर

विज्ञप्ति

विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रशिक्षण 2007 के सन्दर्भ में निर्गत शासनादेशों एवं मा0 उच्च न्यायालय के विभिन्न आदेशों के अनुपालन में जनपद बुलन्दशहर को आबंटित सीटों 968 के सापेक्ष रिक्त 384 सीटों हेतु तृतीय जांच सूची निर्गत कर दी गयी है । सम्बन्धित सूची एवं कट ऑफ मेरिट का विवरण संस्थान/जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय/जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सूचना पट्ट पर चस्पा है । तृतीय जांच सूची एवं चयनित अभ्यर्थियों द्वारा दिये जाने वाले शपथ पत्र का प्रारूप वेबसाइट पर उपलब्ध है । अभ्यर्थी Website – http://bulandshahar.nic.in पर अथवा www.scertup.org के Home page पर बने Link 'Third List for verification of Original Documents' / तृतीय जाँच सूची' पर क्लिक करके अपना नाम देख सकते हैं। सूची से सम्बन्धित अभ्यर्थी अपने समस्त मूल शैक्षिक अंकपत्र व प्रमाण पत्र, जाति आरक्षण/विशेष आरक्षण/शिक्षा मित्र सम्बन्धी प्रमाण पत्र तथा उनकी दो सैट स्वहस्ताक्षरित छायाप्रति एवं पासपोर्ट साइज के दो नवीनतम फोटोग्राफ, दो फाइल कवर व टैग के साथ दिनांक 9–4–08 अथवा 10–4–08 को प्रातः 9.30 बजे संस्थान में उपस्थित हों ।

कट ऑफ मैरिट का विवरण

श्रेणी	शिक्षामित्रों से भिन्न				शिक्षामित्र	
	महिला		पुरूष		महिला	पुरूष
	कला	विज्ञान	कला	विज्ञान		
सामान्य	262.89	262.15	251.81	254.16	—	214.84
अनु0जाति	236.77	228.22	231.07	231.66	—	188.83
अनु0जनजाति	—	—	220.54	—	—	....
अन्य पिछड़ा वर्ग	253.38	247.19	248.64	249.15	—	211.43

विशेष आरक्षण	शिक्षामित्र से भिन्न		शिक्षामित्र	
	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष
विकलांग				
दृष्टिबाधित (5)	216.67	224.93	—	—
श्रवणह्रास (6)	—	208.41	—	—
चलन क्रिया (7)	246.27	—	—	—
स्व0सं0सै0 आश्रित (8)	204.67	222.62	—	—
भू0पू0सैनिक (9)	—	167.73	—	—

- "यह तृतीय जांच सूची मा0 उच्च न्यायालय/मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों एवं किसी लिपिकीय त्रुटि के संधान के अधीन होगी ।
- जारी की गयी जांच सूची किसी भी रूप में चयन सूची नहीं है ।
- यदि अभ्यर्थी निर्धारित तिथि को संस्थान में उपस्थित नहीं होते हैं, तो भविष्य में उनके अभ्यर्थन के प्रति विचार नहीं किया जायेगा और इसके लिए वे स्वयं उत्तरदायी होंगे तथा उनका अभ्यर्थन निरस्त करते हुए वरीयता क्रम में अगले अर्ह अभ्यर्थी के अभ्यर्थन पर विचार किया जायेगा तथा भविष्य में उनके किसी दावे को स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

नोट

1– द्वितीय जांच सूची में सम्मिलित तथा जांच हेतु बुलाये गये अभ्यर्थियों में से वे अभ्यर्थी, जो तत्समय मूल अभिलेखों की जांच हेतु उपस्थित नहीं हो सके थे

अथवा

2– प्रथम अनन्तिम चयन सूची में द्वितीय जांच सूची के अर्ह अभ्यर्थियों को सम्मिलित करते हुए प्रकाशित अनन्तिम चयन सूची में सम्मिलित अभ्यर्थियों में से वे अभ्यर्थी, जो तत्समय मूल अभिलेखों एवं शपथपत्र प्रस्तुत करने हेतु उपस्थित नहीं हो सके थे ।

को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे इच्छुक हों, तो उन्हें उपरोक्त तिथियों में क्रम–1 की स्थिति में मूल अभिलेखों की जांच हेतु तथा क्रम–2 की स्थिति में मूल अभिलेख एवं शपथ पत्र प्रस्तुत करने हेतु एक अतिरिक्त अन्तिम अवसर इस विज्ञप्ति के माध्यम से इस प्रतिबन्ध के साथ दिया जाता है कि उनकी श्रेणी में रिक्ति शेष रहने की स्थिति में ही उनके प्रकरण पर विचार किया जा सकेगा । इस विज्ञप्ति के अतिरिक्त उन्हें अन्य किसी माध्यम से सूचना नहीं दी जायेगी, क्योंकि उन्हें पूर्व में ही विभिन्न माध्यमों से सूचित करके अवसर दिया जा चुका है । उक्त तिथियों में भी उनके द्वारा संस्थान में उपस्थित न होने पर यह मान लिया जायेगा कि वे इस जनपद में अपने अभ्यर्थन हेतु कदापि इच्छुक नहीं है और इस जनपद में उनका किसी प्रकार का दावा स्वतः समाप्त समझा जायेगा ।

(योगेन्द्र नाथ सिंह)
प्राचार्य
जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान
बुलन्दशहर